पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी–बिरकोना मार्ग , बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्रं./3144/अकादमी/पी–एच.डी./2017 बिलासपुर, दिनांक : 05/04/2017

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ 1–130/2015 (VIP/PS) दि. 03/11/2016 द्वारा पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को *रेगूलर मोड में पी–एच.डी. पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है।*

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद एवं कार्य–परिषद द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक 02 (Doctor of Philosophy) के अनुसार, हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, पुस्तकालय व सूचना विज्ञान एवम् राजनीति विज्ञान विषयों के पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऐसे पात्र अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2016 (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D. Degrees) के अनुसार पी–एच.डी. पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, निर्धारित शुल्क रु.1000/– (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) तथा रु.500/– (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग वर्ग हेतु) चालान के माध्यम से जमा कर सूचना विवरणिका/आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.pssou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समय–सारणी निम्नानुसार घोषित की जाती हे–

- आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि – 05 मई, 2017
- प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि – 08–09 मई, 2017

कुलसचिव

क्रं./ 3145/अकादमी/पी–एच.डी./2017 बिलासपुर, दिनांक : 05/04/2017

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ एवं प्रवेश परीक्षा की आवश्यक तयौरी हेतु।
3. समस्त विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग को समस्त अध्ययन केन्द्रों के सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसेल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।
6. मिडिया प्रभारी को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि इसे समाचार–पत्रों के सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रुप में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति प्रसारित करें।
7. कार्यालय प्रति

कुलसचिव